झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा | **दशम् (शीतकालीन) सत्र**

संख्या-02 | **मंगलवार, दिनांक-20 दिसम्बर, 2022 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर शनैः-शनैः सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

1.प्रश्नकालः-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-60

(क) उत्तरित कुल-03,	अ० सू०-01,	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	स०वि०स०,
	अ० सू०-03,	श्री सरयू राय,	स०वि०स०,
	अ० सू०-04,	डॉ० लम्बोदर महतो,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ठ मात्र-01,	अ० सू०-02,	श्री बिरंची नारायण,	स०वि०स०।
(ग) अनागत कुल-56,	अ० सू०-05 से लेकर अ० सू०-60 तक।		

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि राज्य के एक सांसद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध अभद्र टिप्पणी की गयी है जो अशोभनीय है, अतएव सदन से उनके विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित किया जाय जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने भी किया तदुपरांत माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने भी निन्दा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को भेजे जाने हेतु अनुरोध किया तत्पश्चात् समर्थन स्वरूप सत्तापक्ष के भी अधिकांशतः माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये जिससे भारी शोरगुल होने लगा। आसन द्वारा इसपर विधिसम्मत कार्रवाई किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया, परन्तु अव्यवस्था का माहौल यथावत् कायम रहा जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही- 11.27 बजे पूर्वा० से लेकर 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

2.शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को लिखित उत्तर हेतु सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने के निमित्त आसन से निदेश दिया गया।

(इस अवसर पर पूर्व की अपनी-अपनी माँगों को लेकर पक्ष एवं विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये जिससे भारी शोरगुल होने लगा।)

क्र० पृ० उ०

3.वित्तीय कार्य:-

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त), डॉ० रामेश्वर उराँव ने वित्तीय वर्ष-2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन किया तदुपरांत आसन द्वारा संसूचित किया गया कि इसपर कटौती का प्रस्ताव आज दिनांक-20.12.2022 को 04.00 बजे अप० तक माननीय सदस्य दे सकेंगे।

4.विधायी कार्य:-

(क) पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा नियम-110 के तहत **झारखण्ड वित्त विधेयक-2021** की वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ,

(ख) पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, श्री बादल द्वारा सभा नियम-110 के तहत **झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुपालन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2022** की वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ,

(ग) पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा नियम-110 के तहत झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक-2022 की वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत आसन की अनुमति से माननीय सदन नेता एवं मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 1932 का खतियान लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नौवीं अनुसूची में जोड़ने हेतु भेजने के निमित्त राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए आज दिनांक-20.12.2022 को 03.30 बजे अप० में सदन के सभी माननीय सदस्यों को साथ में चलने का आग्रह किया साथ ही नियोजन नीति को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार रद्द किये जाने पर भी अपनी भावना अभिव्यक्त की।

5.आसन से सूचना:-

आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों को संसूचित किया गया कि माननीय सदन नेता द्वारा सभा भवन में आयोजित दोपहर के भोजन पर वे सादर आमंत्रित हैं। **इसके उपरांत सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-21.12.2022 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।**

राँची,
दिनांक- 20 दिसम्बर, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।